न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/481

1. मन्दिर श्री गोपाल जी विराजमान चला ग्राम बागपतनगर तहसील नीमकाथाना जरिये पुजारी/महन्त श्री रसिकशरण चेला बजरंगदास ग्राम चला तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर, राजस्थान।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर ने मुकदमा संख्या 349/2022 निर्णय दिनांक 17.06.2022 जो प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् रास्ता के विरूद्ध पारित किया गया।

उपस्थित :—

1. श्री भगवान सहाय शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :— 28.11.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 17.06.2022 के खिलाफ प्रार्थना—पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 01.08.2023 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा दिनांक 09.06.2022 को राज्य सरकार के निर्देशानुसार व राजस्व (ग्रुप—6) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज—6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.08.2016 की पालना में राजस्व ग्राम बागपतनगर, पटवार मण्डल चला, तहसील नीमकाथाना के आराजी खसरा नम्बर 196, 191, 190, 202, 187, 186, 185, 208, 209, 203, 206, 204, 234, 235, 238, 241, 189 में रास्ता मौके पर चालू होने से रास्ता चला से ढाणी शिश्यावाली तन चला जाने वाले रास्ते को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने हेतु तथा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव व अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज करने हेतु प्रस्ताव मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर को भिजवाया गया।

   जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 66 के प्रावधानों के अनुसार एवं तहसीलदार नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। तथा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एवं नक्शे में तरमीम की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस आदेश का भाग रहेगा। तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2022 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 17.06.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 17.06.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का विधि विधान एवं पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की तारीफ में नही आने से एवं प्राकृतिक न्याय व न्याय के मूलभूत सिद्धांतों (Natural Justice) के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का ने मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करते समय अपीलार्थी मन्दिर को कोई नोटिस नही दिया गया, न मजमें आम का कोई सार्वजनिक नोटिस दिया गया एवं पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का ने भी कोई जांच मौके पर नही की एवं ना ही तहसीलदार जी द्वारा सत्यता की जांच की गई, यहां तक तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में प्रस्ताव राजस्व ग्राम चला, गुहाना तहसील नीमकाथाना के खसरा नम्बर में से रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत अभिशंषा की है, उसी पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने सुनवाई का पर्याप्त अवसर नही देकर दिनांक 17.06.2022 को अपना निर्णय प्रसारित कर दिया जो कि मनमाना, आवेदन पत्र की जांच किये बिना पारित निर्णय है, जो निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत चला का दिनांक 24.05.2022 का प्रस्ताव खसरा नम्बर 241 बाबत कोई प्रस्ताव पारित नही किया, प्रस्ताव पारित होने के बाद में खसरा नम्बर 241 का अंकन किया है, इसलिये अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 एवं राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 का गलत रूप से विवेचन कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अपीलार्थी मंदिर श्री गोपाल जी की खातेदारी की भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा और न मौके पर कोई रास्ता है। पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का ने बिना मौके पर गए रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है न मौका रिपोर्ट बनाने बाबत अपीलार्थी कोई नोटिस ही दिया गया है ऐसी स्थिति में भी निर्णय निरस्तनीय है। तहसीलदार महोदय ने राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक प. 3 (2) राज-6/2003 पार्ट/दिनांक 10.08.2016 के परिपत्र में दिये गये निर्देशों एवं मीमों की भी पालना नही की इस निर्मित नियम 58 (3) के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट पी-31 की प्रति सम्मन द्वारा भेजी जावेगी। ऐसी स्थिति में रिपोर्ट व सूचना तहसीलदार व पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी को मौका देखने से पूर्व या बाद में कभी भी नही दी गयी। इस कारण भी यह मौका जांच रिपोर्ट भू-अभिलेख नियम के मापदण्डों के अनुसार नही होने एवं उसी रिपोर्ट पर यह जैर आदेश दिये जाने के कारण उक्त आदेश गैर कानूनी होने के कारण निरस्तनीय हैं। जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल के न्यायिक निर्णय 2022 (2) आर.आर. टी 943 में प्रतिपादित किया गया है।

तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में यह कही भी अंकित नही है कि अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 241 में से रास्ता कितनी चौडाई का है इस प्रकार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

स्पष्ट है कि मौके पर अपीलार्थी की सहखातेदारी की भूमि में से कोई रास्ता चालू होता तो आवश्यक रूप से तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत आवदेन के साथ हल्का पटवार तैयार तथाकथित मौका रिपोर्ट में रास्ते की लम्बाई चौडाई का अंकन किया जाता। उक्त कारण से भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट एवं प्रस्ताव को अकाट्य प्रमाण मानकर हल्का पटवारी का कोई बयान दर्ज नही कर व प्रभावित हितबद्ध खातेदारों अपीलार्थी को नोटिस न देकर व सुनवाई का अवसर प्रदान नही कर निर्णय देने में गंभीर भूल की है। सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही दिवस में की गई, जो कि स्पष्टतया न्याय नही होकर केवल मात्र खानापूर्ति की है जो कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार का गम्भीर दुरूपयोग किया है, इसलिये अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 241 रकबा 4.24 हैक्टयर, की खातेदारी अपीलार्थी श्री मन्दिर गोपाल जी के नाम दर्ज है, जिसका पुजारी/महन्त श्री रसिकशरण की ओर से देवमूर्ति के हितों की सुरक्षार्थ उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है, जिसके अधिकारों की रक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य होता है, लेकिन तहसीलदार ने मन्दिर के विधिक अधिकारों के तथ्य को छिपाकर अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय से पारित करवाया है, जो निरस्तनीय है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.06.2022 अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अपीलार्थी को सुनवाई का नोटिस दिये बिना एकतरफा में पारित निर्णय है जिसकी जानकारी अपीलार्थी को पूर्व में कभी नही रही। सर्वप्रथम ग्राम में ही राजस्व रेकॉर्ड में रास्ता अंकन होना जून माह, 2023 में ग्राम के ही व्यक्ति से जानकारी होने पर दिनांक 11.06.2023 को खसरा नम्बर 241 की जमाबन्दी की नकल प्राप्त की। उक्त जमाबन्दी खसरा नम्बर 241 रकबा 4.24 हैक्टयर में से खसरा नम्बर 241/1 रकबा 4.37 हैक्टयर व 241/2 रकबा 0.04 हैक्टयर गै0मु0 रास्ता अंकित होने की जानकारी हुई, जिसके पश्चात् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना मे जाकर अनेक बार चक्कर लगाए तब उक्त पत्रावली के निर्णय की जानकारी हुई तब नकल हेतु दिनांक 07.07.2023 को आवेदन किया, जिसकी सम्पूर्ण पत्रावली की नकल दिनांक 10.07.2023 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात जयपुर आकर वकील साहब से सम्पर्क किया तथा उक्त अपील की जानकारी होने से अन्दर मियाद उक्त अपील पेश की जा रही है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को मियाद से माफी दिये जाने बाबत अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, सीकर निर्णय दिनांक 17.06.2022 अपीलार्थी मंदिर के खसरा नम्बर 421 के बाबत् पारित निर्णय को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2022 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 11.06.2023 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा

प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा दिनांक 09.06.2022 को राज्य सरकार के निर्देशानुसार व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.08.2016 की पालना में राजस्व ग्राम बागपतनगर, पटवार मण्डल चला, तहसील नीमकाथाना के आराजी खसरा नम्बर 196, 191, 190, 202, 187, 186, 185, 208, 209, 203, 206, 204, 234, 235, 238, 241, 189 में रास्ता मौके पर चालू होने से रास्ता चला से ढाणी शिश्यावाली तन चला जाने वाले रास्ते को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने हेतु तथा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव व अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज करने हेतु प्रस्ताव मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर को भिजवाया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 66 के प्रावधानों के अनुसार एवं तहसीलदार नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। तथा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एवं नक्शे में तरमीम की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस आदेश का भाग रहेगा। तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2022 पारित किये गये।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2022 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे। जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2022 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.06.2022 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.06.2022 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर